न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 72/2024

महावीर पुत्र श्री हनुमान, उम्र 63 वर्ष, जाति अहीर, निवासी चितौसा, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू। —अपीलान्ट—

बनाम

भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

प्रथम अपील अ. धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध न्यायालय आदेश संख्या 731/12.04.2024 न्यायालय तहसीलदार बुहाना।

उपस्थितिः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 14.5.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलान्ट राजस्व ग्राम चितौसा की भूमि नया खाता संख्या 146 पुराना खाता संख्या 14 वर्तमान खसरा नम्बर 108, 202 कुल रकबा 8.4800 हैक्टर में कुल हक हिस्सा 1/63 का संयुक्त काश्तकार राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है। अपीलान्ट की सह खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2081 के क्रम संख्या 54 पर दर्ज है। अपीलान्ट के समान नाम के दुसरे व्यक्ति महावीर पुत्र सांवल का नाम भी जमाबन्दी सम्वत् 2081 के क्रम संख्या 53 पर दर्ज चला आ रहा है। वर्तमान जमाबन्दी के क्रम संख्या 53 पर दर्ज चले आ रहे खातेदार महावीर पुत्र सांवल का हिस्सा (हक हिस्से 2/21) देहान्त हो चुका है। वर्तमान जमाबन्दी के क्रम संख्या 53 पर दर्ज खातेदार महावीर पुत्र सांवल के वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:12:25 IST
Reason: SelfAttested

ने विरासतन नामान्तरकरण हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के यहां निवेदन किया। मृतक महावीर पुत्र सांवल के वारिसान द्वारा प्रस्तुत विरासतन नामान्तरकरण आवेदन पत्र पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के हक हिस्से पर मृतक मानकर नामान्तरकरण दर्ज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 12.04.2024 को आलौच्य नामान्तरकरण आदेश संख्या 731 तस्दीक करवाया है। उक्त नामान्तरकरण आदेश आरम्भतः अवैध व शून्य है। अदालत मातहत ने महावीर पुत्र सांवल के हक हिस्से की भूमि पर नामान्तकरण तस्दीक नही कर गलत रूप से अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि पर नामान्तकरण स्वीकृत किया है जो गलत है। इस कारण नामान्तकरण संख्या 731 अपास्त होने योग्य है। अन्त में अदालत मातहत द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 731 दिनांक 12.04. 2024 निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट राजस्व ग्राम चितौसा की भूमि नया खाता संख्या 146 पुराना खाता संख्या 14 वर्तमान खसरा नम्बर 108, 202 कुल रकबा 8.4800 हैक्टर में कुल हक हिस्सा 1/63 का संयुक्त काश्तकार राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है। अपीलान्ट की सह खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2081 के क्रम संख्या 54 पर दर्ज है। अपीलान्ट के समान नाम के दुसरे व्यक्ति महावीर पुत्र सांवल का नाम भी जमाबन्दी सम्वत् 2081 के क्रम संख्या 53 पर दर्ज चला आ रहा है। वर्तमान जमाबन्दी के क्रम संख्या 53 पर दर्ज चले आ रहे खातेदार महावीर पुत्र सांवल का हिस्सा (हक हिस्से 2/21) देहान्त हो चुका है। वर्तमान जमाबन्दी के कम संख्या 53 पर दर्ज खातेदार महावीर पुत्र सांवल के देहान्त पर महावीर पुत्र सांवल के वारिसान ने विरासतन नामान्तरकरण हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के यहां निवेदन किया। मृतक महावीर पुत्र सांवल के वारिसान द्वारा प्रस्तुत विरासतन नामान्तरकरण आवेदन पत्र पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के हक हिस्से पर मृतक मानकर नामान्तरकरण दर्ज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 12.04.2024 को आलौच्य नामान्तरकरण आदेश संख्या 731 तस्दीक करवाया है। उक्त नामान्तरकरण आदेश आरम्भतः अवैध व शून्य है। अदालत मातहत ने महावीर पुत्र सांवल के हक हिस्से की भूमि पर नामान्तकरण तस्दीक नही कर गलत रूप से अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि पर नामान्तकरण स्वीकृत किया है जो गलत है। इस कारण नामान्तकरण संख्या 731 अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 731 दिनांक 12.04.2024 निरस्त किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:12:25 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणागुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट महावीर पुत्र हनुमान के एक जैसे नाम के अन्य सहखातेदर महावीर पुत्र सांवल की मृत्यु होने पर विरासतन नामान्तकरण के आवेदन पर अपीलान्ट को मृत मानकर मृतक के वारिसान के हक में प्रकरण में विवादित नामान्तकरण संख्या 731 दिनांक 12.04.2024 स्वीकृत किया है। जबकि अपीलान्ट जीवित है। अन्य सहखातेदार महावीर पुत्र सांवल फौत हुआ है। मृतक खातेदार महावीर पुत्र सांवल के वारिसान के हक में उसके हिस्से की भूमि का नामान्तकरण किया जाना था। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण वल्दियत का अवलोकन किये बिना महावीर पुत्र हनुमान की विरासत का नामान्तकरण खोलकर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 731 दिनांक 12.04.2024 निरस्त कर पत्रावली इस आशय से तहसीलदार बुहाना की भिजवाई जाती है कि प्रकरण में मृतक महावीर पुत्र सांवल के हक हिस्से की खातेदारी भूमि में मृतक महावीर पुत्र सांवल के विधिक वारिसान के संबंध में दोनों पक्षों को सुनते हुए अग्रिम कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.5.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त ज़िला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:12:25 IST
Reason: SelfAttested